संख्या-38 /2026/780/26-3-2026- 1795469

प्रेषक,

चन्द्र कुमार मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 25 मार्च, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में मशीन और साज-सज्जा /उपकरण एवं संयंत्र क्रय किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-362/ज0जा0वि0/2025-26 दिनांक 05.03.2026 एवं संख्या-341/ज0जा0वि0/2025-26 दिनांक 16.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4225-02-796-06-26- मशीन और साज-सज्जा / उपकरण एवं संयत्र मद में उपलब्ध आय-व्ययक प्राविधान रू० 200.00 लाख के सापेक्ष विभाग के अधीन संचालित विद्यालयों हेतु सामग्री क्रय किये जाने हेतु धनराशि रू० 200.00 लाख (रू० दो करोड़ मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में मशीनें और साज-सज्जा /उपकरण एवं संयंत्र क्रय किये जाने हेतु योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0-200.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष रू0-200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की अनुमति श्री राज्यपाल निम्नवत शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

(1) निदेशक, जनजाति विकास द्वारा उक्त विद्यालयों में मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र क्रय किये जाने का कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कराया जाएगा।

(2) समस्त कार्यवाही जेम पोर्टल के माध्यम से की जायेगी।

(3) इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों/क्रय सम्बन्धी शासनादेशों की व्यवस्था के अनुसार सामग्री का क्रय करते हुए वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2025/231-2025-दस/352-1-बी/2025/6-दिनांक 27.03.2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा निदेशक, जनजाति विकास विभाग द्वारा सुनिश्चित कराय जाय कि स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

(7) योजानान्तर्गत क्रय की गयी वस्तुओं की सूची एवं उसके सापेक्ष उपभोग प्रमाण-पत्र ससमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(8) क्रय संबंधी कार्यवाही समय से की जाए जिससे आगामी सत्र में छात्रों को इसका लाभ मिल सके।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये-2,00,00,000/- (रूपये दो करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-081 लेखाशीर्षक 4225-02-796-06-00 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मानक मद-26- मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

Digitally signed by
CHANDRA KUMAR MISHRA
Date: 24-03-2026
14:20:35

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव

पृ0 संख्य एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
6- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, एन0आई0सी0।
8- गार्डफाइल

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव